न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 624/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट्स
1– पदमाराम पुत्र हमीरराम 2– कानाराम पुत्र गंगाराम 3– दौलतराम पुत्र भुराराम 4– रमेश पुत्र फताराम 5– भंवरलाल पुत्र रतनाराम 6– नारायण पुत्र शिवलाल 7– तेजाराम पुत्र शिवलाल 8– देवाराम पुत्र गोकलराम 9– आसुराम पुत्र पाबुलाल 10–पदमाराम पुत्र पाबुलाल सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम झुझण्डा, तहसील जैतारण जिला पाली		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली 2– उपखण्ड अधिकारी जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा क्रमांक/राजस्व/2017/20 दिनांक 10–1–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22–2–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 129 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 130 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 126 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 128 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 145 रकबा 102 बीघा 05 बिस्वा कुल 7 खसरान की 131 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम झुझण्डा पटवार हल्का सोंगावास मे स्थित है । उक्त खसरा के अलावा अपीलांट की अन्य कृषि भूमि एक ही चक मे राजस्व रेकर्ड मे शामलाती दर्ज है तथा विधि अनुसार बंटवाडा किया हुआ नही है। सहखातेदारान का आपस मे किसी प्रकार का कोई विवाद नही है लेकिन प्रत्यर्थीगण ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाले–बाले हल्का पटवारी के मनघडंत प्रतिवेदन पर अपीलांट्स की संयुक्त कब्जा काश्त की शामलाती कृषि भूमि पर राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्रो का हवाला देते हुए अपीलांट्स की उपरोक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि को गैर मुमकीन रास्ता मे दर्ज करने के आदेश दिनांक 10–1–2017 को पारित कर दिये, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर तथा विधिक प्रावधानो के विपरीत एवं अपीलांट को सुनवाई का

अवसर दिये बिना तथा पक्षकार बनाये बिना ही पारित किया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट के खातेदारी भूमि मे रास्ता दर्ज कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है इसलिए अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि है तथा प्रत्यर्थी को यह कोई विधिक अधिकार नही है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट के खातेदारी कृषि भूमि मे से रास्ता दर्ज कर दे जबकि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि मे से कोई रास्ता नही चल रहा है और न ही किसी भी खातेदार द्वारा अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते की मांग नही की गई । मात्र हल्का पटवारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट की कृषि भूमि के रास्ता दर्ज कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10–8–2016 एवं जिला कलेक्टर भू.अ.पाली के पत्रांक 16126–45 दिनांक 5–9–16 का हवाला देते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उक्त परिपत्र एवं आदेश वर्तमान प्रकरण मे लागू नही होता है क्योकि अपीलांट की भूमि एक ही चक मे आई हुई है, जिस पर अपीलांट एवं सहखातेदार शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है तथा अपीलांट की कृषि भूमि के चारो ओर मेडबंदी की हुई है । इस कारण अपीलांट की कृषि भूमि मे किन्ही परिस्थितियो मे रास्ता न तो विद्यमान है और न ही रास्ते की आवश्यकता है फिर भी अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते का जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के प्रावधान वर्तमान मामले मे लागू नही होते है । अधीनस्थ न्यायालय को धारा 131, 132 के प्रावधानो के अनुरूप अपीलांट्स की खातेदारी कृषि भूमि मे रास्ता दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नही होते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–1–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार के राजस्व ग्रप–6 विभाग के परिपत्र दिनांक 10–6–2016 एवं जिला कलेक्टर (भू.अ.) पाली के आदेश दिनांक 5–9–2016 के अनुसरण मे पटवारी हल्का सांगावास ने मौजा झुझण्डा के खसरा नंबर 127, 129, 130 एवं 131 मे से ग्राम झुझण्डा से बेरा बन्दा तक मौके पर कदीम से चल रहे रास्ते की मौका फर्द तैयार कर प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–1–2017 पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी अनुसार अपीलांट्स अपीलाधीन भूमि के रेकर्डेड खातेदार है । राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप–1 विभाग के पत्रांकप.13(4) राज/ग्रुप–1/2015 दिनांक 8–10–15 के अनुसरण मे राजकीय/निजी भूमि मे चालू रास्ते जिनका इन्द्राज राजस्व अभिलेख मे नही है, ऐसे रास्तो का राजस्व अभिलेख मे अंकन करने के निर्देशो के क्रम मे तहसीलदार जैतारण ने ग्राम झुझण्डा पटवार मण्डल सांगावास के 2 प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 6–1–17 को प्रस्तुत किये ।

जिस प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने निजी खातेदारो (वर्तमान अपीलांटगण) को नोटिस जारी किये बिना तथा उन्हे सुनवाई का मौका दिये बिना ही उनके खातेदारी की भूमि मे से तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंषा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता एवं नक्शे मे लाल स्याही से अंकन करने बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–1–2017 को पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया गया होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–1–2017 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 22–2–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर